राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा

क्रमांक / रीडर / 2025 / 1953 दिनांक: 28 / 10 / 2025

प्रेषितिः–

तहसीलदार
बिजौलियां।

विषयः– इजराय प्रकरण संख्या **29 / 25 मदन बनाम** कजोड़ी की पालना किये जाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इजराय प्रकरण संख्या **29 / 25 मदन बनाम** कजोड़ी की पालना की पालना बाबत् मूल वाद प्रकरण संख्या 30 / 2020 वात्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निर्णय दिनांक 16.07.2025 के निर्णय एवं डिक्री की छाया प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

अतः किसी अन्य न्यायालय का स्थगन इत्यादि नहीं होने पर नियमानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट दिनांक 28.10.2025 से पूर्व इस न्यायालय को भिजवाने की सुनिश्चितता करें।

संलग्नः– निर्णय एवं डिक्री की फोटो प्रति एवं नक्शा ट्रैस।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 50/2025

दायर तारीख 22/08/2025

अनवान्

01. शान्ती देवी पत्नि केलूलाल जाति माली उम्र वयस्क निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.........वादीया

बनाम

1. नाथू पिता रूपा जाति भील उम्र वयस्क निवासी किशना का झुपड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. घीसी पुत्री बलदेव जाति भील उम्र वयस्क निवासी किशना का झुपड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.........प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री दीपक मीणा – अधिवक्ता वादीया।
2. एकपक्षीय – प्रतिवादीगण।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

वादपत्र अर्न्तगत धारा 183 राज0 काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक : 03/02/2026

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीया ने जरिये अधिवक्ता श्री दीपक मीणा वादपत्र **अर्न्तगत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीया कि मौजा ग्राम धनवाडा प0ह0 माल का खेड़ा तहसील बिजौलियां स्थित आ0नं0 77/7 रकबा 0.8094 हैक्टेयर, आ0नं0 85 रकबा 0.7042 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 1.5136 हैक्टेयर भूमि के अभिलिखित खातेदार हैं। उक्त भूमि से प्रतिवादीगण का कोई सम्बंध, कोई वास्ता नहीं हैं। उक्त आराजी के कुछ हिस्से पर शनै शनै प्रतिवादीगण ने कब्जा कर लिया। प्रतिवादीगण को कब्जा हटाने को कहा तो प्रतिवादीगण लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये। वादीया ने विवादित आराजीयात की सीमा जानकारी हेतु पत्थरगढी करवायी तो तथ्य की जानकारी हुयी कि वादीया कि आ०नं0 77/7 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि में से रकबा 0.0405 है० भूमि पर नाथू पिता रूघा भील निवासी किशना का झोपडा व रकबा 0.1215 है० भूमि पर घीसी पुत्री बलदेव भील निवासी किशना का झोपडा, आ०नं० 85 रकबा 0.7042 हैक्टेयर भूमि में से रकबा 0.2023 है० भूमि पर घीसी पुत्री बलदेव भील निवासी किशना का झोपडा ने नाजायज/अवैध कब्जा कर रखा हैं। वादीया स्वयं की खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी हैं।

वादीगण ने अनुतोष चाहा कि मौजा ग्राम धनवाडा प0ह0 माल का खेड़ा तहसील बिजौलियां स्थित आ०नं0 77/7 में रकबा 0.0405 है० भूमि पर नाथू पिता रूघा भील निवासी किशना का झोपडा व रकबा 0.1215 है० भूमि पर घीसी पुत्री बलदेव भील निवासी किशना का झोपडा, आ०नं० 85 रकबा 0.2023 है० भूमि में घीसी पुत्री बलदेव भील निवासी किशना का झोपडा कुल किता 2 रकबा 3643 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादीगण का अवैध एवं नाजायज कब्जे को हटाया जाकर वादीया को पुनः सिपुर्द किये जाने की डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवायी गयी। प्रतिवादीगण की बाद तामील प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण वावजूद तामील उपस्थित नहीं होने से इसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

उक्त प्रकरण में तहसीलदार बिजौलियां से जांच रिपोर्ट ली गयी। तहसीलदार बिजौलियां ने पत्रांक/रीडर/2025/2044 दिनांक 31.10.2025 से प्रेषित जांच रिपोर्ट में अंकित किया कि ग्राम धनवाडा प0ह0 माल का खेड़ा स्थित आ0नं0 77/7 में से रकबा 0.0405 है० भूमि पर नाथू पिता रूघा भील निवासी किशना का झोपडा व रकबा 0.1215 है० भूमि पर घीसी पुत्री बलदेव भील निवासी किशना का झोपडा, आ०नं० 85 में रकबा 0.2023 है० भूमि पर घीसी पुत्री बलदेव भील निवासी किशना का झोपडा का कब्जा पाया गया।

उक्त प्रकरण में साक्ष्यवादी में स्वयं वादीया शान्तीदेवी पत्नि केलूलाल जाति माली उम्र वयस्क निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील बिजौलियां के बयान लिये गये जो शामिल पत्रावली हैं।

साक्ष्यवादी में शान्तीदेवी ने बयान किया कि वादीया कि ग्राम धनवाडा प0ह0 माल का खेड़ा स्थित भूमि के खाता संख्या 665 पर अंकित आ0नं0 77/7 रकबा 0.8094 हैक्टेयर, आ0नं0 85 रकबा 0.7042 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 1.5136 हैक्टेयर भूमि वादीया के नाम से खातेदारी रिकॉर्ड में दर्ज हैं। उक्त आराजीयात पर वादीया फसल काश्त करती हैं। वादीया ने पत्थरगढी करवायी जिसका मौका पर्चा प्रदर्श–P–1 हैं, P–1 जानकारी हुयी कि वादीया कि आ०नं० 77/7 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि में से रकबा 0.0405 है० भूमि पर प्रतिवादी सं0 1 व रकबा 0.1215 है० भूमि पर प्रतिवादी सं0 2, आ०नं० 85 रकबा 0.7042 हैक्टेयर भूमि में से रकबा 0.2023 है० भूमि पर प्रतिवादी सं0 2 ने नाजायज /अवैध कब्जा कर रखा हैं। वादीया द्वारा कई दफा कब्जा हटाने बाबत् कहा, प्रतिवादीगण इस पर तैयार नहीं हुए एवं लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हो गए। अतः उक्तानुसार आराजीयात पर प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादीया को सुपूर्द करवाया जावें।

अधिवक्ता वादीया द्वारा साक्ष्यवादी में ओर किसी गवाह के बयान नहीं कराये जाने साक्ष्यवादी बन्द की गयी।

पत्रावली में साक्ष्य प्रतिवादीगण प्रस्तुत नहीं होने से प्रकरण को बहस के स्तर पर रखा गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता वादीया की एकपक्षीय बहस सुनी गई एवं बहस पर मनन किया। साथ में संलग्न मौका पर्चा, तहसीलदार बिजौलियां की रिपोर्ट का अध्ययन किया जिसमें जाहिर होता है कि वादीया की मौजा ग्राम धनवाडा प0ह0 माल का खेड़ा स्थित आ0नं0 77/7, आ0नं0 85 कुल किता 2 रकबा 1.5136 हैक्टेयर भूमि में आ०नं0 77/7 में रकबा 0.0405 है० भूमि पर नाथू पिता रूघा भील निवासी किशना का झोपडा व रकबा 0.1215 है० भूमि पर घीसी पुत्री बलदेव भील निवासी किशना का झोपडा, आ०नं० 85 में रकबा 0.2023 है० भूमि पर घीसी पुत्री बलदेव भील निवासी किशना का झोपडा का कब्जा पाया गया। वादीया ने वादपत्र के साथ नकल जमाबंदी, पत्थरगढ़ी का मौका पर्चा पेश किया जो संलग्न पत्रावली है। सभी तथ्यों को ध्यानमें रखते हुए वादपत्र में आदेश दिए जाते हैं कि :–

–: आदेश :–

वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार** कर बहक वादीया विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री करने के आदेश दिये जाते हैं कि मौजा ग्राम धनवाडा प0ह0 माल का खेड़ा स्थित आ0नं0 77/7 में से रकबा 0.0405 है० भूमि पर नाथू पिता रूघा भील निवासी किशना का झोपडा व रकबा 0.1215 है० भूमि पर घीसी पुत्री बलदेव भील निवासी किशना का झोपडा, आ०नं० 85 में से रकबा 0.2023 है० भूमि पर घीसी पुत्री बलदेव भील निवासी किशना का झोपड़ा को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीया शान्तीदेवी पत्नि केलूलाल जाति माली निवासी उन्द्रो का खेड़ा को सिपुर्द किया जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना अपना वहन करे। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब की जावें।

आदेश आज दिनांक 03/02/2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गयज्ञं

न्यायालय मोहर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 50/2025 दायर तारीख 22/08/2025

अनवान्

01. शान्ती देवी पत्नि केलूलाल जाति माली उम्र वयस्क निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

..................डिक्रीदार

बनाम

1. नाथू पिता रूपा जाति भील उम्र वयस्क निवासी किशना का झुपड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. घीसी पुत्री बलदेव जाति भील उम्र वयस्क निवासी किशना का झुपड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

..................मदयूनान

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक : 03/02/2026

डिक्री दिनांक : 03/02/2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियॉ बहाजरी विद्वान अधिवक्ता वादीया श्री दीपक मीणा व प्रतिवादीगण एकपक्षीय को हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि **मौजा** ग्राम धनवाडा प0ह0 माल का खेड़ा स्थित आ0नं0 77/7 में से रकबा 0.0405 है० भूमि पर नाथू पिता रूघा भील निवासी किशना का झोपडा व रकबा 0.1215 है० भूमि पर घीसी पुत्री बलदेव भील निवासी किशना का झोपडा, आ०नं० 85 में से रकबा 0.2023 है० भूमि पर घीसी पुत्री बलदेव भील निवासी किशना का झोपड़ा को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीया शान्तीदेवी पत्नि केलूलाल जाति माली निवासी उन्द्रो का खेड़ा को सिपुर्द किया जावें। अतः उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना – अपना वहन करे।

लगातार पेज संख्या 02 पर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

नीज ....Nil.................................मुबलिग .... Nil ....बाबत् ....
...l ......खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की
...रीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03 माह 02 वर्ष 2026 को जारी किया गया।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	—		स्टाम्प अरजीदया	—	
स्टाम्प वकीलात नामा	—		स्टाम्प वकीलात नामा	—	
स्टाम्प वजह सबूत	—		स्टाम्प वजह सबूत	—	
महनताना वकील ( )	—		महनताना वकील ( )	—	
खर्चा गवाह	—		खर्चा गवाह	—	
फीस कमीश्नर	—		फीस कमीश्नर	—	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	—		बाबत् इजराय हुक्मनामा	—	
मुनफरिक	—		मुनफरिक	—	
मीजान			मीजान		

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ